

दिल्ली विधान सभा
समाचार भाग-2

§ विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी §
बृहस्पतिवार, 10 जनवरी, 1996/ माघ 5, 1917 §शक§

संख्या- 236

सदस्य को नज़रबंदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित उपायुक्त
पुलिस, मध्य ज़िला, दिल्ली से दिनांक: 16. 1. 96 को निम्नलिखित
संसूचना दिनांक: 17. 1. 96 को प्राप्त हुई :-

" मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली राष्ट्रीय
राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा के माननीय सदस्य
श्री गोएब इकबाल को उनके अन्य समर्थकों सहित आज अर्थात्
दिनांक: 16. 1. 96 को पूर्वाह्न 9. 30 बजे पुलिस धाना, चांदनी
महल से पुलिस के विधि सम्मत् निर्देशों की अवज्ञा करने के कारण
पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अंतर्गत नज़रबंद किया
गया ।

उन्हें उनके अन्य समर्थकों सहित उही दिन अर्थात् 16. 1. 96
को अपराह्न 1. 30 बजे रिहा कर दिया गया ।"

पी. एन. गुप्ता
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative & other matters)

Thursday, January, 18, 1996/Magn 05, 1917 (Saka)

No. 236

DETENTION AND RELEASE OF A MEMBER

The following wireless message dated 16.1.1996 addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Legislative Assembly from the Additional Deputy Commissioner of Police, Central District, Delhi was received on 17.1.1996 :-

" I have the honour to inform you that Shri Shoab Iqbal, Hon'ble Member of Legislative Assembly, Delhi alongwith his other supporters was detained under section 65 of the Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful direction of Police from Chandni Mahal, Police Station, Delhi at 0930 hours today i.e. 16.1.96. He was released at 1.30 P.M. the same day i.e. 16.1.96.

(P.N. GUPTA)
SECRETARY